

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड-II में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 13/2015-20  
नई दिल्ली, दिनांक: 26 जून, 2015

विषय: प्याज की निर्यात नीति—न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) में वृद्धि।

सा0 आ0 (अ) विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 1.02 के साथ पठित, यथा संशोधित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 के सं0 22) की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा तत्काल प्रभाव से प्याज के निर्यात से संबंधित दिनांक 12.03.2014 की अधिसूचना सं0 73 (आर ई-2013)/2009-14 के साथ पठित दिनांक 07.04.2015 की अधिसूचना सं0 2/2015-20 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. दिनांक 07.04.2015 की अधिसूचना सं0 2/2015-20 का संशोधित पैरा 2 अब निम्नानुसार पढ़ा जाएगा;

"निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 7 की क्रम सं0 51 और 52 के मद विवरण के लिए प्याज का निर्यात 425 अमेरिकन डॉलर प्रति मीट्रिक टन पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) अथवा विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित मूल्य के तहत अनुमत होगा।"

3. इस अधिसूचना का प्रभाव:

उपरोक्त यथा वर्णित सभी किस्मों की प्याज का निर्यात 425 अमेरिकन डॉलर प्रति मीट्रिक टन पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) के अधीन होगा।

(प्रवीर कुमार)  
महानिदेशक, विदेश व्यापार  
ई मेल: [dgft@nic.in](mailto:dgft@nic.in)

(फा0 सं0 01/91/180/922/एएम 08/पी सी-3/निर्यात प्रकोष्ठ से जारी)